Nº 007559

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 674.

वर्ष 2010 - 2011.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि "डेडिकेटेड सोसाइटी फॉर एजुकेशन एण्ड साइंस"

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई । आज तारीख तीस मास अगस्त वर्ष दो हजार दस को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF JHARKHAND — मुहर महानिरीक्षक निबन्धन झारखण्ड

SECRETARY
DEDICATED SOCIETY FOR EDUCATION & SCIENCE D.S.E.S

30.8.10

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

गोवर्नमेंट प्रेस, रांची ।

पत्रांक– 1010

झारखंड सरकार,
निबंधन विभाग।

प्रेषक,

सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
निबंधन विभाग,
झारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव
डेडिकेटेड सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड साइंस
ग्राम - छिपना, मेदिनीनगर, पलामू,
पो० - मेदिनीनगर
(जिला - पलामू)

रांची, दिनांक– 23.8.12

विषय :– स्मृति–पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन–पत्र के आलोक में संस्था के स्मृति–पत्र एवं नियमावली की छाया–प्रति की अभिप्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

SECRETARY
DEDICATED SOCIETY FOR
EDUCATION & SCIENCE D.S.E.S

विश्वासभाजन,

(दीपेन्द्र मणि ठाकुर),
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
निबंधन विभाग, झारखंड, रांची।

' डेडिकेटेड सोसाईटी फॉर एडुकेशन एण्ड सांइस ' का स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :– ' डेडिकेटेड सोसाईटी फॉर एडुकेशन एण्ड सांइस '

2. संस्था का निबंधित कार्यालय :– ग्राम – सूदना, मेदिनीनगर,, पलामू
पोस्ट – मेदिनीनगर
जिला – पलामू
पिन – 822101(झारखण्ड)
कार्यालय परिवर्तन की सूचना निबंधन विभाग अन्य संबंधित विभागों को दे दी जाएगी।

3. कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य।

4. संस्था का उद्देश्य :–

1) लेगों को वैज्ञानिक शिक्षा, के प्रति जागरूक करना। उन्हें कृषि की उन्नत तकनीक, उद्यान विकास, मतस्य पालन, पशु पालन जलछाजन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। प्राकृतिक आपदा के समय उत्पीड़ित जनसमुदायों को राहत प्रदान करना। जनसंख्या नियंकत्रण, समान लिंगानुपात, आदि हेतु ज्ञान प्रचार करना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों आदि की जानकारी उपलब्ध कराना।

2) लेगों को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु आवश्यक शिक्षा उपलब्ध कराना। समय–समय पर चिकित्सा शिविर, टिकाकरण शिविर, आदि का आयोजन करना। लोगों को एड्स, कुष्ठ, अंधापन, मलेरिया, टी0बी0 आदि जानलेवा बिमारियों से बचाव हेतु जानकारी उपलब्ध कराना। महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य हेतु आवश्यक जानकारी देना तथा सेमिनार, कार्यशाला आदि के माध्यम से ज्ञान प्रसारित करना।

3) शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, वाणिज्य, प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विस्तारपूर्वक कार्य करना। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, कॉलेज, मैनेजमेंट कालेज एवं विभिन्न टेकनीकल कॉलेज खोलना। वोकेशनल कोर्स करा कर लोगों को जीविकोपार्जन एवं आत्मसम्मान के साथ रहने में मदद करना। पर्यावरण संरक्षण एवं खेलकूद के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना एवं प्रोत्साहन देना। आई0 टी0, कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रानिक में विशेष शिक्षा प्रदान करना। प्रिंट मिडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा लोगों को जागरूक करना। विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं इलेक्ट्रानिक चैनल की स्थापना करना। कृषि को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्रिय सम्पदा के आधार पर लघु अद्योगों का विकास करना। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत सामग्री उपलब्ध कराना। वित्त एवं बिमा के क्षेत्र में प्रबंधन करना। जिला, राज्य एवं देश के विकास का हर संभव प्रयास करना।

SECRETARY
DEDICATED SOCIETY FOR
EDUCATION & SCIENCE D.S.E.S

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय की मुहर
झारखण्ड * JHARKHAND *

SECRETARY
DEDICATEd SOCIETYFOR
EDUCATION & SCIENCE D.S.E.S

5. **संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :–**

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं :–

क्र०	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता मकान सं० /होल्डिंग नं० गली/रोड सं०– मुहल्ला– पोस्ट– थाना– ग्राम/शहर– जिला– (मकान अपना है या किराये का है अंकित करें)	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
1	श्रीमती रश्मि रेखा पति– श्री आनन्द जय कुमार	ग्रा+पो0– सुदना, थाना– मेदिनीनगर, जिला– पलामू, झारखण्ड	28	एम0 ए0	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	श्री विनय कुमार मेहता, पिता– श्री सीताराम महतो	ग्राम– सुदना, डालटेनगंज, जिला – पलामू, (झारखण्ड)	37	बी0 टेक	समाज सेवा	सचिव	
3	श्री श्यामदेव मेहता, पिता– स्व0 माधव महतो	74, सुदना, डालटेनगंज, पो0– डालटेनगंज (मु. शाखा) जिला– पलामू, झारखण्ड	42	एम0 ए0	शिक्षक	कोषाध्यक्ष	
4	श्री अजीत कुमार, पिता– श्री बृजमोहन महतो	ग्राम+पो0– चियांकि, जिला– पलामू, झारखण्ड	33	बी0 टेक0	इंजिनियर	सदस्य	

SECRETARY
DEDICATED SOCIETY FOR EDUCATION & SCIENCE DISES

SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
झारखण्ड
JHARKHAND

क्र0	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता मकान सं0 /होल्डिंग नं0 गली/रोड सं0– मुहल्ला– पोस्ट– थाना– ग्राम/शहर– जिला– (मकान अपना है या किराये का है अंकित करें)	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
5	श्रीमती रिमझिम श्रीवास्तव, पति– श्री संजय कुमार सिन्हा,	भूदान कार्यालय के नजदीक, आबादगंज, डालटेनगंज, जिला– पलामू, झारखण्ड	36	स्नातक	समाज सेवा	सदस्य	
6	श्री आशिष कुमार, पिता– श्री अजय मेहता	ग्राम– सूदना, मेदिनीनगर, जिला– पलामू, झारखण्ड	26	एम0 ए0	समाज सेवा	सदस्य	
7	सुश्री श्वेता कुमारी, पिता– डा0 सीताराम चौधरी	ग्राम– सूदना, मेदिनीनगर, जिला– पलामू, झारखण्ड	31	एम0एस0सी	समाज सेवा	सदस्य	

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय की मुहर
झारखण्ड * JHARKHAND *

SECRETARY
DEDICATED SOCIETY FOR EDUCATION & [illegible] SES

6. **आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :–**

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकर का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन के आकांक्षी हैं :–

क्र0	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता मकान सं0 /होल्डिंग नं0 गली/रोड सं0– मुहल्ला– पोस्ट– थाना– ग्राम/शहर– जिला– (मकान अपना है या किराये का है अंकित करें)	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
1	श्रीमती रश्मि रेखा पति– श्री आनन्द जय कुमार	ग्रा+पो0– सुदना, थाना– मेदिनीनगर, जिला– पलामू, झारखण्ड	28	एम0 ए0	समाज सेवा	
2	श्री विनय कुमार मेहता, पिता– श्री सीताराम महतो	ग्राम– सूदना, डालटेनगंज, जिला – पलामू, (झारखण्ड)	37	बी0 टेक	समाज सेवा	
3	श्री श्यामदेव मेहता, पिता– स्व0 माधव महतो	74, सुदना, डालटेनगंज, पो0– डालटेनगंज, (मु. शाखा) जिला– पलामू, झारखण्ड	42	एम0 ए0	शिक्षक	
4	श्री अजीत कुमार, पिता– श्री बृजमोहन महतो	ग्राम+पो0– चियांकि, जिला– पलामू, झारखण्ड	33	बी0 टेक0	इंजिनियर	

SECRETARY
DEDICATED SOCIETY FOR

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
झारखण्ड
JHARKHAND

क्र0	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता मकान सं0 /होल्डिंग नं0 गली/रोड सं0– मुहल्ला– पोस्ट– थाना– ग्राम/शहर– जिला– (मकान अपना है या किराये का है अंकित करें)	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
5	श्रीमती रिमझिम श्रीवास्तव, पति– श्री संजय कुमार सिन्हा,	भूदान कार्यालय के नजदीक, आबादगंज, डालटेनगंज, जिला– पलामू, झारखण्ड	36	स्नातक	समाज सेवा	
6	श्री आशिष कुमार, पिता– श्री अजय मेहता	ग्राम– सूदना, मेदिनीनगर, जिला– पलामू, झारखण्ड	26	एम0 ए0	समाज सेवा	
7	सुश्री श्वेता कुमारी, पिता– डा0 सीताराम चौधरी	ग्राम– सूदना, मेदिनीनगर, जिला– पलामू, झारखण्ड	31	एम0एस0 सी	समाज सेवा	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति, जिनका फोटो ऊपर चिपका है तथा हस्ताक्षर ऊपर अंकित है, ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

SECRETARY
DEDICATED SOCIETY FOR EDUCATION ... SCIENCES

राजपत्रित अधिकारी, (राज्य अथवा केन्द्रीय)
डाक्टर / प्रिंसिपल / नोटरी / विद्यालय /
महाविद्यालय के प्राचार्य / बैंक / इन्श्योरेन्स ऑफिसर्स / पब्लिक
सेक्टर के पदाधिकारी आदि
(नाम पदनाम मुहरयुक्त हस्ताक्षर)

NOTARY PUBLIC RANCHI

THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

' डेडिकेटेड सोसाईटी फॉर एडुकेशन एण्ड साइंस'

10

1 परिभाषा :–

क	संस्था से अभिप्राय	:	डेडिकेटेड सोसाईटी फॉर एडुकेशन एण्ड साइंस
ख	समिति से अभिप्राय	:	संस्था की कार्यकारिणी समिति
ग	वितीय वर्ष से अभिप्राय	:	01 अप्रैल से 31 मार्च
घ	आंम सभा से अभिप्राय	:	संस्था कें सभी सदस्यो से बनी सभा
ड	पदाधिकारी से अभिप्राय	:	अध्यक्ष ,सचिव ,एवं कोषाध्यक्ष
च	अधिनियम से अभिप्राय	:	संस्थ निबंधन अधिनियम ,21,1860

2 संस्था की सदस्यता की शर्ते :–

प्रत्येक भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक की हो जो इस संस्था कें नियम एवं उदेश्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हो तथा इसके कार्यो में अभिरूची रखते हों इस संस्थ के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता प्राप्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। प्रत्येक सदस्य को 51 रूपये प्रवेश शुल्क एवं 11 रूप्ये मासिक शुल्क देना अनिवार्य होगा । कार्यकारिणी समिति शुल्क में परिर्वन कर सकती है ।

3.संस्था की सदस्यता की समाप्ति :–

निम्नलिखित अवस्था में सदस्यों की सदस्यतां समाप्त मानी जायेगी

क. स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
ख. पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
ग. मृत्यु होने पर ।
घ. समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।
ड. संस्था की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित होने पर।
च. सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
छ. न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले मे दण्डित होने पर।
ज. संस्था के नियमों एवं उदेश्यों के विपरीत आचरण करने पर।

4.कार्यकारिणी समिति का गठन :–

क. संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियो सहित कुल 10 दस सदस्य होंगें।
ख. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा होगा ।
ग. निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं।.

5. कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार

क. संस्था के कार्यो एवं योजनाओं पर निगरानी रखना एवं संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपेक्षित निर्देश देना ।
ख. संस्था के चल या अचल सम्पति के लिए उत्तरदायी होना।
ग. संस्था के विरूद्ध आचरण करने वाले या अनैतिक कार्य करने वाले सदस्यों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना ।
घ. संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधियत करना और प्रस्ताव पारित करना एवं आवश्यकतानुसार उपसमिति का गठन करना ।
ड. आमसभा की बैठक की तिथि ,स्थान एवं कार्यावली निर्धारित करना ।
च. संस्था की योजना एवं बजट तैयार एवं पारित कर आमसभा के समक्ष रखना। निबंधन के संबंध मे अपनी अनुशंसा
छ. संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन एवं संस्था के विघटन के संबंध मे अपनी अनुशंसा आमसभा के पास भेजना ।
उदेश्यों की पूर्ति हेतू अन्य बैधानिक कार्य करना ।
आमसभा द्वारा पारित प्रस्तावों को कार्यरूप देना ।
यदि कार्यकाल पुरा करने के पूर्व किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो कार्यकारिणी समिति उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है। लेकिन आमसभा की वार्षिक बैठक में उसे विधियत् पारित कराना होगा । मनोनीत सदस्य उसी पद के अवधि तक कार्य करेंगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया है ।
संस्था में बहुमत के आधार पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी को उसके सदस्यता/पद से हटाया जा सकता है।

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION, BIHAR

DEDICATED SOCIETY FOR EDUCATION & SCIENCES
SECRETARY

SECRETARY
DEDICATED SOCIETYFOR
EDUCATION & SCIENCE D.S.E.S

पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार

क. अध्यक्ष

1. संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
2. संस्था के कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर करना ।
3. किसी बैठक में समान मत की स्थिति में निर्णायक मत देना।
4. संस्था की गतिविधियों पर निगरानी रखना ।
5. सचिव को कर्मचारियो की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी में सहयोग प्रदान करना ।
6. किसी भी तरह की बैठक बुलाने हेतु समय-समय पर सचिव को परामर्श देना।
7. आवश्यकतानुसार किसी भी अधिकारी या दूसरे संगठन की बैठक में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
8. समय-समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों को पूरा करना।

ख. सचिव

1. बैठक का आयोजन करना ।
2. अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य करना।
3. संस्था की ओर से पत्राचार करना।
4. प्रत्येक पंजी एवं कागजात को सुरक्षित रखना।
5. संस्था की आय – व्यय का अंकेक्षण कराना ।
6. अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
7. बैठक के कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना ।
8. आवश्यकता पड़ने पर समिति के बिना पूर्व अनुमति के 1000, एक हजार रूपये तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन आगामी बैठक में इसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा ।

ग. कोषाध्यक्ष

1. कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गए वित्तीय कार्यों एवं दायित्वों को पूरा करना।
2. समिति के आय-व्यय का हिसाब रखना, आय-व्यय का लेखा तैयार करने एवं सुरक्षित रखने में सचिव को सहयोग करना।
3. आमसभा में आय-व्यय लेखा प्रस्तुत करने में सचिव को सहयोग करना, उसे बैठक में रखना तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना।
4. सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना।
5. समिति का कोष किसी निर्धारित बैंक या डाकघर में समिति के नाम पर जमा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर सचिव एवं अपने संयुक्त हस्ताक्षर से संस्था के खाते से किसी प्रकार की निकासी करना।
6. कार्यकारिणी की बैठक मे वित्तीय विषयो पर उत्तर देना।
7. आय के नए स्त्रोतों की खोज करना एवं तत्संबंधी परामर्श कार्यकारिणी को देना।
8. संस्था के लेखा का अंकेक्षण करवाना एवं संबंधित प्रतिवेदन आमसभा में रखना ।

SECRETARY
DEDICATED SOCIETY FOR EDUCATION & SCIENCE D.S.E.S

SECRETARY
DEDICATED SOCIETYFOR
EDUCATION & SCIENCE D.S.E.S

आमसभा का कार्य एवं अधिकार:–

(क) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।
(ख) संस्था की योजना, बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।
(ग) संस्था की लेखा के अंकेक्षण हेतु आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
(घ) संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन लाना।
(ङ.) संस्था के विघटन पर निर्णय लेना।
(च) अध्यक्ष की राय से अन्य विषयों पर विचार करना।
(छ) संस्था के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।

आमसभा की बैठकें:–

(क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
(ख) आम सभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर संस्था के सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब अधियाचना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक में अधियाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं।
(ग) <u>कोरम</u> : आमसभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी(50%+1)।
(घ) <u>बैठक की सूचना:–</u>
1. आमसभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिनों पूर्व दी जाएगी।
2. बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जायेगी।

कार्यकारिणी समिति की बैठकें:–

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी, जिसकी सूचना कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी। बैठक में भाग लेना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है।
(ख) आवश्यकता पड़ने पर बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, जिसकी सूचना कम से कम 48 घंटे पूर्व दी जाएगी।
(ग) सूचना डाक द्वारा या सूचनाबही पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या विशेष दूत के द्वारा दी जाएगी।

10. आय का स्त्रोत :–

(क) सदस्यों का प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क।
(ख) सरकारी एवं गैर–सरकारी अनुदान।
(ग) विशेष शुल्क एवं दान।
(घ) सांस्कृतिक कार्यक्रम के सहयोग राशि द्वारा ।

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय की मुहर झारखण्ड JHARKHAND

SECRETARY DEDICATED SOCIETY FOR EDUCATION & SCIENCE D.S.E.S

SECRETARY
DEDICATED SOCIETYFOR
EDUCATION & SCIENCE D.S.E.S

कोष की व्यवस्था /बैंक खाते का संचालन :–
संस्था को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ संस्था के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक /डाकघर मे खुले खाते में रखी जाएगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के कोषाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाएगी ।

12. अंकेक्षण :–
(क) संस्था की लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से उसका अंकेक्षण कराया जाएगा ।
(ख) निबंधन महानिरीक्षक ,झारखण्ड ,राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

13. कानूनी कारवाई :–
संस्था द्वारा या संस्था के विरूद्ध कोई भी कानूनी कारवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगी।

14. पंजी का निरीक्षण :–
संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्मे रहेंगी, जहाँकोई भी संस्था /सरकारी अधिकारी सचिव की पूर्व अनुमति से उनका निरीक्षण कर सकते हैं।

15. संशोधन :–
संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आमसभा 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही लिया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम –21,1860 के संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जाएगा ।

16. संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था :–

(1) यदि किसी कारण वश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समझी जाएगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित करके उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा। आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही संस्था के विघटन पर निर्णय लिया जाएगा तथा उसे पुनः आमसभा की दुसरी विशेष बैठक के 3/5 सदस्यों के बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी।

(2) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वो के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पति शेष रहेगी वह संस्था के किसी सदस्य या बाह्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उदेश्य वाली झारखण्ड राज्य मे निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जायेगी।

(3) संस्था के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा – 13 एवं 14 पूर्णतः पालन किया जाएगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था के नियमावली की सच्ची प्रति है ।

A.k. Singh
अध्यक्ष

अर्चना कुमारी
कोषाध्यक्ष

सचिव

SECRETARY
DEDICATED SOCIETY FOR
EDUCATION & SCIENCE

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

भारत

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

02AA 429049

SECRETARY
DEDICATED SOCIETY FOR EDUCATION & SCIENCE D.S.E.S

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
मुहर महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय
झारखण्ड * JHARKHAND *

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड